

पत्रांक-श्रम क०सं०-106/2024(अंश)-111

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, वैशाली के ज्ञापांक (कॉलम 6 में वर्णित) से छात्रवृत्ति हेतु 11वीं/12वीं में अध्ययनरत 02 छात्रा को रु० 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपए) प्रति छात्र/छात्रा की दर से रु० 5,000/- (पाँच हजार रुपए) आर्थात् कुल राशि 5,000/- (पाँच हजार रुपए मात्र) का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में दावेदार के पुत्रियों को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-228, दिनांक-24.02.2025 के क्रम संख्या-10 एवं 12 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु उपरोक्त लाभकों का खाता विवरणी त्रुटिपूर्ण रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-228, दिनांक-24.02.2025 के क्रम संख्या-10 एवं 12 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, वैशाली के पत्रांक-1710, दिनांक-22.11.2025 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में छात्र/छात्रा को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

| क्र.सं. | दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि, कार्य की प्रकृति | पुत्र/पुत्री का नाम एवं आधार संख्या | अध्ययनरत छात्र/छात्रा का संस्थान /सत्र/ कक्षा                              | माता एवं पिता का आधार संख्या                      | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक                 | पता एवं मोबाईल नंबर                                                                       | पुत्र/पुत्री का बैंक एवं शाखा का नाम/खाता संख्या/आई. एफ.एस.सी | छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि        |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                             | 3                                   | 4                                                                          | 5                                                 | 6                                               | 7                                                                                         | 8                                                             | 9                                              |
| 1       | शिवपति देवी, 42, शम्भु साह, अ०पि०वर्ग खेतिहर मजदूर            | निशा कुमारी                         | 11वीं<br>10+2 उ०मा०वि०<br>माधोपुर राम,<br>भगवानपुर,<br>वैशाली<br>2024-2026 | माता-4661<br>11813309<br>पिता-<br>849421465<br>21 | 1710<br>22.11.2025<br>एवं<br>2030<br>04.12.2024 | ग्राम-मानिकपुर,<br>पो०-सराय,<br>धाना-सराय,<br>प्र०-भगवानपुर,<br>जिला-वैशाली<br>9262817494 | CBI<br>401595957<br>5<br>CBIN02831<br>28                      | रु०<br>2,500/-<br>(दो हजार<br>पाँच सौ<br>रुपए) |
| 2       | रजिया खातुन, 45, मो० रजीक, अ०पि०वर्ग खेतिहर मजदूर             | रोकसाना प्रवीण                      | 12वीं<br>कपिलदेव राय<br>उ०मा०वि०<br>सुमेरगज, वैशाली<br>2023-2025           | माता-92556<br>8300273<br>पिता-25307<br>3272654    | 1710<br>22.11.2025<br>एवं<br>2145<br>11.12.2024 | ग्राम+पो०-करहरिया<br>बुजुर्ग, धाना-कटहरा,<br>प्र०-चेहराकला,<br>जिला-वैशाली<br>9631638968  | CBI<br>401553624<br>1<br>CBIN02810<br>36                      | रु०<br>2,500/-<br>(दो हजार<br>पाँच सौ<br>रुपए) |

कुल:-रु० 5,000/-

(पाँच हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-228, दिनांक-24.02.2025 के क्रम संख्या-10 एवं 12 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

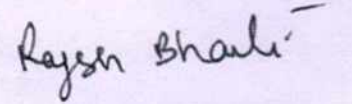
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-106/2024(अंश)-111 पटना, दिनांक :- 11/3/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत

राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु 5,000/—(पाँच हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, वैशाली/उप श्रमायुक्त, वैशालीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
20/07/2026  
(रोहित कुमार)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(राजेश भारती)  
कार्यकारी निदेशक